

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 1068|

नई दिल्ली, मंगलबार, मई 3, 2016/वैशाख 13, 1938

No. 1068]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016/VAISAKHA 13, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

का.आ. 1626(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने पर कि परिस्थितियों में समर्थित करता है, एतदद्वारा धारा 206 की उपधारा (5) के अधीन प्रादेशिक निदेशकों को केंद्रीय सरकार के यथा आदेशानुसार किसी कंपनी की बहियों और कागओं का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार प्रत्योजित करती है।

[फा. सं. 3/516/2015- सीएल, 1]]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April 2016

S.O. 1626(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 458 of the Companies Act (18 of 2013), the Central Government being satisfied that circumstances warrant, hereby delegates the powers to appoint inspectors for inspection of books and papers of a company under sub-section (5) of section 206, as ordered by Central Government, to the Regional Directors.

[F, No. 3/516/2015-CL.II]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Joint Secretary